संशोधन

संख्या- 44 /2026/ 380 / चार-2026-1802291

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, एम0जी0 रोड,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2026**

विषय:- राज्य संरक्षित स्मारक कुसुमवन सरोवर, मथुरा की छतरियों के क्षतिग्रस्त पिनेकलों की मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 40/2026 /366/चार-2026-1802291 दिनांक 02 फरवरी, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में अपने पत्र संख्या- 1902/प्रथम-79 वृहद अनु0 (113)/2025, दिनांक 01 जनवरी, 2026 एवं शासनादेश संख्या- 40/2026/366/चार-2026-1802291 दिनांक 02 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 40/2026/366/चार-2026-1802291 दिनांक 02 फरवरी, 2026 के प्रस्तर-2 (7) में टंकण त्रुटिवश 'पुरातत्व निदेशालय' के स्थान पर 'संस्कृति निदेशालय' अंकित हो गया है।

3. इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 40/2026/366/चार-2026-1802291 दिनांक 02 फरवरी, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2026 का प्रस्तर-2 (7) निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

(7) उक्त धनराशि निदेशक, पुरातत्व निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश पुरातत्व निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त शासनादेश संख्या- 40/2026/366/ चार-2026-1802291 दिनांक 02 फरवरी, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या- 44 /2026/ 380 (1) /चार-2026-1802291, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in